

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


## :: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून 2014, 07.08.2014, वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019, दिनांक 25.10.2019 एवं 06.01.2020 तथा राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक: प. 7(16)शिक्षा-2/2021 जयपुर, दिनांक: 28.07.2021 की अनुपालना में निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीवीक्षाकाल की अवधि में उनके नाम के सामने अंकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	विषय	लिय गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या	अवकाश का प्रकार
1	सरदार सिंह राउमावि खुटांगलिया बांसवाडा	जीव विज्ञान	10.10.2017 से 17.10.2017 तक	08	कुल 08 दिनों का 'असाधारण अवकाश'

उक्त कार्मिक के 90 दिवस के असाधारण अवकाश कार्यालय हाजा आदेश दिनांक: 25.07.2019 एवं 09.10.2019 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। कार्मिक के परिवीक्षाकाल में सम्पूर्ण "असाधारण अवकाश" अवधि 98 दिवस है।

उक्त कार्मिक के सम्पूर्ण "असाधारण अवकाश" अवधि 98 दिवस के वेतन का भुगतान कर दिया गया है तो संबंधित संस्था प्रधान उसकी वसुली कर राजकोष में जमा करवायें एवं उक्त अवकाश अवधि के लेखे का कार्मिक की सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज करें। वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक: 11.06.2014 एवं संशोधित परिपत्र दिनांक: 07.08.2014 व वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक: 08.08.2019, दिनांक 25.10.2019 एवं 06.01.2020 के प्रावधानानुसार कार्मिक के परिवीक्षाकाल में "68 दिवस" की वृद्धि होगी तथा बढी हुई अवधि में और "असाधारण अवकाश" लेने पर परिवीक्षाकाल में तदनुसार उतनी वृद्धि होगी।


  
(सौरभ स्वामी )  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीग/अवकाश(2)/वॉ. 02/2019-20

दिनांक 10/8/2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
3. प्रधानाचार्य राउमावि खुटांगलिया, बांसवाडा को संबंधित कार्मिक की मूल सेवा पुस्तिका आगामी कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है। (रजिस्टर्ड)
4. संबंधित कार्मिक।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर